भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2247

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर पैनल लगाना</u>

2247. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्तमान में देश में उपयोग में आने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा जैसे विद्युत उत्पादन के मौजूदा विधियों के अलावा बिजली उत्पादन के लिए किसी अतिरिक्त माध्यम से उपयोग पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घरेलू बिजली खपत के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक घर की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की किसी योजना पर काम कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिशत के रूप में कितनी सब्सिडी दी जा रही है;

(ङ) कितने घरों को सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक घर को सौर पैनलों से बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) सौर, पवन, लघु हाइड्रो, बायोमास, आदि जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के उत्पदान के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। एमएनआरई द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

एमएनआरई समस्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा भी देता है तथा इन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) से (च): बिजली के घरेलू उपयोग में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु, एमएनआरई देश में पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर स्थापित करना है।

व्यक्तिगत घरों के लिए, पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए 30,000/- रु. प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त एक किलोवाट पीक के लिए 18,000/- रु. प्रति किलोवाट पीक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है। व्यक्तिगत घरों के लिए रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट पीक है।

समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए 500 किलोवाट पीक की रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता सहित सीएफए 18,000/- रु. प्रति किलोवाट पीक है।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य. अंडमान एवं नीकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सीएफए 10% अधिक है।

दिनांक 10.03.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कुल 10.09 लाख आवासीय घर लाभान्वित हुए हैं।

अनुलग्नक

'सोलर पैनल लगाना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2247 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

i. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

ii. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

iii. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

iv. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।

v. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

vi. भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात हेतु वैश्विक हब बनाने के लक्ष्य से 19,744 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

vii. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली बनाना। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की गई।

viii. 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के अपतट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण।

ix. जैव ऊर्जा कार्यक्रमः

क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।

ख) बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।

ग) बायोगैस कार्यक्रमः पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

x. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम।

xi. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फेलोशिप, इंटर्नशिप, अक्षय ऊर्जा के लिए लैब अपग्रेडेशन हेतु सहायता और अक्षय ऊर्जा चेयर जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना।

*****